

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रस्तावना

4.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा अपने व्यावसायिक संचालनों में सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को एकीकृत करने हेतु निरन्तर प्रतिबद्धता है। वैश्विक वातावरण में परिवर्तन दुनिया भर में व्यापार को वित्तीय प्रदर्शन से आगे देखने एवं अपने रणनीतिक प्रबंधन में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों को एकीकृत करने हेतु तीव्रता से चुनौती दे रहे हैं। सीएसआर की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर आश्रित है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। सीएसआर गतिविधियों का कार्य करके कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही हैं।



कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व, भारत में सीएसआर पारंपरिक रूप से एक परोपकारी गतिविधि रही है एवं भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता था कि प्रत्येक कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सक्रिय भूमिका निभाए। सीएसआर पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं, संस्कृति और धर्म से प्रभावित था।

भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची VII को लागू कर सीएसआर को अनिवार्य कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं कंपनी सीएसआर नियम 2014 कंपनियों द्वारा सामाजिक व्यय को अधिदेशित तथा विनियमित करते हैं।

विधिक ढांचा:

4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है एवं उन कंपनियों के लिए जिन्हें सीएसआर गतिविधियां शुरू करना आवश्यक है, के गत वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर एवं शुद्ध लाभ के आधार पर पात्रता मानदंड निर्धारित करती है तथा अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करती है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में जिन गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है, उन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम की धारा 135 एवं अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान सरकारी कंपनियों सहित सभी कंपनियों पर लागू है।

अधिनियम की धारा 135 में प्रावधान है कि
प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा टर्नओवर एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का है बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। <i>प्रावधान है कि यदि धारा 149 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, तब इसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।</i>
सीएसआर समिति की संरचना का प्रकटन बोर्ड के प्रतिवेदन में किया जाएगा।
सीएसआर समिति (क) कम्पनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाते हुए एक सीएसआर नीति तैयार करेगी एवं बोर्ड को अनुशंसा करेगी (ख) गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की अनुशंसा करेगी तथा (ग) कंपनी की सीएसआर नीति की समय-समय पर निगरानी करेगी ।
कंपनी का बोर्ड (क) सीएसआर समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की सीएसआर नीति को अनुमोदित करेगा एवं अपने प्रतिवेदन में ऐसी नीति की विषय वस्तु को प्रकट करेगा तथा इसे कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई है, पर भी प्रदर्शित करेगा, एवं (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर नीति में सम्मिलित गतिविधियों को कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है।
कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे बशर्ते कि: <i>कंपनी को सीएसआर गतिविधियों हेतु निर्धारित राशि व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों, जहां यह संचालित होती है, को वरीयता देगी।</i>

यदि कंपनी ऐसी राशि को व्यय करने में विफल रहती है, तो बोर्ड अपने प्रतिवेदन में राशि व्यय नहीं करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा।

अधिनियम, अर्हता प्राप्त कंपनियों के लिए सीएसआर गतिविधियों पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार गठना) का कम से कम 2 प्रतिशत वार्षिक व्यय करना अनिवार्य बनाता है। तदनुसार वर्ष 2019-20 हेतु, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लाभ पर विचार किया जाना चाहिए था। अधिनियम के अन्तर्गत सीएसआर के प्रावधानों की अनुपालना अर्थात् सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तैयार करना एवं सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि व्यय करना अप्रैल 2014 से लागू हो गया था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) ने सीएसआर नियम, 2014 को अधिसूचित किया जिसमें सीएसआर गतिविधियों की निगरानी, निष्पादन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण का प्रावधान है। यह नियम भी अप्रैल, 2014 से लागू हो गये थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

4.3 राजकीय उपक्रमों की सीएसआर गतिविधियों की अनुपालना लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या अधिनियम एवं कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की गई थी। राजकीय उपक्रमों के प्रयासों का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को देखा:

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के निर्माण एवं अनुपालना से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है;
- क्या विनिर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है;
- क्या सीएसआर के तहत परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है; एवं
- क्या प्रतिवेदन एवं प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं विस्तार

4.4 राज्य के कुल 42 राजकीय उपक्रमों में से, 20 राजकीय उपक्रमों को, जैसा कि अनुबंध 4.1 में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 में धारा 135 (1) के अनुसार सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था। इन 20 राजकीय उपक्रमों में से 14 राजकीय उपक्रमों को, जिनमें धारा 198 के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के आधार पर

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन योग्य लाभ थे, को विस्तृत जांच के लिए चुना गया। शेष छह¹ राजकीय उपक्रमों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई आवंटन योग्य लाभ नहीं था। इसके अतिरिक्त, इन छह राजकीय उपक्रमों में से दो राजकीय उपक्रमों यथा एक राजकीय उपक्रम² जिसमें पूर्व वर्षों की राशि को अग्रणीत किया गया एवं एक राजकीय उपक्रम³ जिसमें वर्ष के दौरान सीएसआर पर व्यय किया गया, की भी समीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदंड

4.5 लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मानदंडों के समक्ष किया गया था:

- अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची VII में निहित तथा मार्च 2019 तक संशोधित प्रावधान; एवं
- कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.6 राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर समिति के गठन, नीति निर्माण व अनुपालना, सीएसआर गतिविधियों का नियोजन व निष्पादन एवं निगरानी व प्रतिवेदन के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना पर लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

नियोजन

सीएसआर समिति का गठन

4.7 कंपनी अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा टर्नओवर एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का है बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए बशर्ते⁴ कि यदि धारा 149 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, तब इसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।

1 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

2 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

4 कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 में सम्मिलित परन्तुक, 19.09.2018 से प्रभावी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सभी 20 राजकीय उपक्रमों, जिन्हें सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था, ने अनुबंध 4.1 में दर्शाई गई तिथियों को सीएसआर समिति का गठन किया। साथ ही, इन सभी 20 राजकीय उपक्रमों में, दो राजकीय उपक्रमों अर्थात् आरआरवीयूएनएल तथा जेवीवीएनएल के अतिरिक्त, जैसी भी दशा हो, उनकी सीएसआर समिति में न्यूनतम 2 या 3 निदेशक हैं। अधिनियम की धारा 135 (1) एवं (3) के अनुसार बोर्ड एवं सीएसआर समिति की भूमिका नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:



समिति में स्वतंत्र निदेशक

4.8 अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए, यदि राजकीय उपक्रम को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करनी आवश्यक है।

सभी 20 राजकीय उपक्रमों, तीन⁵ राजकीय उपक्रम जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं के अतिरिक्त, को अपनी सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 17 राजकीय उपक्रमों में से मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने 31 मार्च 2020 तक इस प्रावधान की अनुपालना की थी। 31 मार्च 2020 को सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की स्थिति अनुबंध 4.1 में दर्शायी गई है।

5 राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कंपनी लिमिटेड, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट स्ननन कंपनी लिमिटेड।

सीएसआर नीति का निर्धारण

4.9 अधिनियम की धारा 135 (3) (अ) के अनुसार, सीएसआर समिति एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ इंगित होंगी, का निर्धारण करेगी एवं बोर्ड को अनुशंसा करेगी। इसके अतिरिक्त, सीएसआर नियम, 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि कंपनी की सीएसआर नीति में, अन्य बातों के साथ साथ, (अ) अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम, जिन्हें कंपनी द्वारा लिए जाने की योजना है, की सूची, ऐसी परियोजना अथवा कार्यक्रमों को निष्पादित किए जाने के तौर-तरीके एवं इनके क्रियान्वयन की सारणी एवं (ब) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नियम में आगे प्रावधान है कि कंपनी की सीएसआर नीति यह निर्दिष्ट करेगी कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड 31 मार्च 2020 तक सीएसआर नीति निर्धारित नहीं कर सका क्योंकि इस पर धारा 135 (1) के प्रावधान पहली बार 2019-20 में लागू हुये थे। शेष 19 राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने सीएसआर नीति निर्धारित की थी, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड जिसने निगरानी ढांचा शामिल नहीं किया था जबकि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) में सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं किया था, के अतिरिक्त, ने अपनी सीएसआर नीति में सभी आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया था।

वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट

4.10 सीएसआर समिति की भूमिका, बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों एवं वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना है; जबकि बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होता है। इसमें सीएसआर गतिविधि का नियोजन एवं अनुमोदन तथा बजट पर जोर दिया जाता है। एक सर्वोत्तम प्रथा के रूप में, प्रस्तावित सीएसआर परियोजनाओं तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि अंतिम तिमाही में निधियों को समाप्त करने की कोई शीघ्रता ना हो। इसके अतिरिक्त इससे वित्तीय वर्ष में धनराशि का पूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात⁶ राजकीय उपक्रम अपनी वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट को सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं करा सके। तथापि, दो राजकीय

6 आरआरवीयूएनएल, आरएसबीसीएल, आरएसजीएल, आरआईएसएल, आरएफएण्डसीएससीएल आरआरवीपीएनएल एवं आरएसएमएमएल

उपक्रमों⁷ के वैयक्तिक परियोजना प्रस्तावों को उनके बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई थी। शेष नौ कंपनियों के संबंध में वार्षिक सीएसआर योजना के साथ-साथ बजट अनुमोदन की स्थिति का विवरण नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1 वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट के अनुमोदन की स्थिति

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	सीएसआर समिति का अनुमोदन	बोर्ड का अनुमोदन
1.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	अनुमोदित नहीं	11.05.2020
2.	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	13.03.2020.	11.05.2020
3.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30.08.2019	09.10.2019
4.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	30.01.2020	30.01.2020
5.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	22.01.2020	26.05.2020
6.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	06.12.2019	18.03.2020
7.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	22.09.2020	24.09.2020
8.	बाड़मेर लिग्नाइट स्वनन कंपनी लिमिटेड	अनुमोदित नहीं	24.03.2020
9.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	19.03.2020	12.05.2020

स्रोत: राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि दो राजकीय उपक्रमों (क्र.सं.1 एवं 8) की सीएसआर समिति ने वर्ष 2019-20 की वार्षिक योजना/बजट को अनुमति नहीं दी थी, तथापि इसे बोर्ड द्वारा अनुमति दे दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच राजकीय उपक्रमों (क्र.सं.1, 2, 5, 7 एवं 9) के बोर्ड ने वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक योजना/बजट को अनुमोदित किया जबकि दो राजकीय उपक्रमों (क्र.सं 4 एवं 8) की वार्षिक योजना/बजट को उनके बोर्ड ने वर्ष 2019-20 की चतुर्थ तिमाही में अनुमति दी थी।

इस प्रकार, राजकीय उपक्रम सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक योजना/बजट की स्वीकृति प्राप्त करने में तत्पर नहीं थे।

7 आरआरवीपीएनएल एवं आरएसएमएमएल

वित्तीय घटक

निधियों का आवंटन एवं उपयोग

4.11 अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार) का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे।

तदनुसार, 14 राजकीय उपक्रमों के संबंध में अधिनियम की धारा 198 के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत की गणना ₹ 1181.64 लाख थी। तथापि राजकीय उपक्रमों ने ₹ 1158.84 लाख आवंटित किये, जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: चालू वर्ष हेतु निधियों का आवंटन तथा उपयोग

क्र.सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	पात्र राशि (औसत शुद्ध लाभ का 2%)	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	अव्ययित राशि
		(राशि:- ₹ लाख में)			
1.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	44.51	44.51	44.51	0.00
2.	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	25.54	25.54	25.54	0.00
3.	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	59.84	59.84	0.00	59.84
4.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड	37.12	14.55	17.63	19.49
5.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	13.16	13.16	0.00	13.16
6.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	107.20	107.20	107.20	0.00
7.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	323.85	323.85	55.50	268.35
8.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	51.00	51.00	0.00	51.00
9.	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड	390.88	390.88	193.26	197.62
10.	बाड़मेर लिग्नाइट खनन कंपनी लिमिटेड	54.35	54.35	54.35	0.00
11.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	1.17	12.92	0.00	1.17
12.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	24.13	24.13	0.00	24.13
13.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक	16.62	16.62	0.00	16.62

	आपूर्ति निगम लिमिटेड				
14.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	32.27	20.29	0.00	32.27
	योग	1181.64	1158.84	497.99	683.65

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर संकलित

राजकीय उपक्रमों के गत तीन वर्षों के शुद्ध लाभों, आवंटन योग्य राशि एवं वास्तविक आवंटित राशि के विश्लेषण ने प्रकट किया कि दो राजकीय उपक्रमों (क्रम सं. 4 एवं 14) ने ₹ 34.55 लाख कम आवंटित किये जबकि एक राजकीय उपक्रम (क्रम सं. 11) ने ₹ 11.75 लाख का अधिक आवंटन किया क्योंकि इसने पूर्व वर्षों (2016-17 एवं 2017-18) की हानियों को ध्यान में नहीं रखा था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित दो प्रतिशत राशि ₹ 1181.64 लाख के समक्ष ₹ 497.99 लाख व्यय किये गये थे जबकि वर्ष के दौरान ₹ 683.65 लाख अव्ययित रहे। आगे यह भी देखा गया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मात्र चार राजकीय उपक्रमों (क्रम सं.1, 2, 6 एवं 10) ने सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग किया था जबकि तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम सं. 4,7 एवं 9) ने राशि का आंशिक उपयोग किया था। साथ ही, शेष सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधि की कोई राशि व्यय नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, आरआरवीयूएनएल के पास संचित हानियों के कारण वर्ष के दौरान आवंटन योग्य लाभ नहीं था, तथापि इसने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 247.54 लाख का व्यय किया।

अव्ययित राशि का उपयोग

4.12 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के स्पष्टीकरण (12 जनवरी, 2016) के अनुसार, बोर्ड यह निश्चित करने हेतु स्वतंत्र है कि क्या सीएसआर निधि की न्यूनतम अव्ययित राशि को अगले वर्ष में अग्रणीत किया जाये। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजकीय उपक्रमों ने पिछले वर्षों की अव्ययित राशि को अग्रणीत करने अथवा नहीं करने के संबंध में विशिष्ट निर्णय नहीं लिया था।

तालिका 4.3: अव्ययित सीएसआर राशि वाले राजकीय उपक्रम

क्र.सं.	विवरण	2018-19 से अग्रणीत	2019-20 में व्यय ⁸	अव्ययित राशि
		(राशि: ₹ लाख में)		
1.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	48.04	47.49	0.55
2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	734.05	536.64	197.41
3.	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	18.08	17.22	0.86
4.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26.11	0.00	26.11

8 वर्तमान वर्ष में 2 प्रतिशत राशि से अधिक व्यय की गई राशि को अग्रणीत की गई राशि के विरुद्ध माना गया है।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

5.	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड	35.48	0.00	35.48
6.	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड	1716.26	0.00	1716.26
7.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	34.66	0.00	34.66
8.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	119.23	0.00	119.23
	कुल	2731.91	601.35	2130.56

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर संकलित

आठ राजकीय उपक्रमों ने पूर्व वर्ष (2018-19) की अव्ययित राशि ₹ 2731.91 लाख को अग्रणीत किया था, जिसमें से ₹ 2130.56 लाख को अव्ययित छोड़ते हुए मात्र ₹ 601.35 लाख की राशि वित्त वर्ष 2019-20 में तीन राजकीय उपक्रमों द्वारा व्यय की गई थी। पांच राजकीय उपक्रम अग्रणीत राशि में से कोई भी व्यय करने में विफल रहे थे।

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित आठ राजकीय उपक्रमों के अतिरिक्त, एक राजकीय उपक्रम यथा रीको की अव्ययित राशि ₹ 753.93 लाख थी जो कि 2018-19 से अग्रणीत की गई थी। रीको की सीएसआर समिति ने निर्णय लिया (13 अगस्त 2019) कि वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित व्यय में अग्रणीत की गई राशि सम्मिलित होगी। तत्पश्चात्, निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति में संशोधन किया (22 नवम्बर 2019) जिसमें प्रावधान किया गया कि किसी विशेष वर्ष के अव्ययित/अप्रयुक्त सीएसआर आवंटन को आगामी वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा एवं इसका उपयोग कंपनी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि रीको की सीएसआर समिति ने 2019-20 के बजट को अनुमोदित करते समय (6 दिसंबर 2019) पूर्ववर्ती तीन वर्षों की मात्र दो प्रतिशत राशि अर्थात् ₹ 323.85 लाख को ध्यान में रखा व इस ओर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया कि अव्ययित राशि को अग्रणीत किया गया है अथवा नहीं, जिसे निदेशक मंडल ने 18 मार्च 2020 को आयोजित अपनी बैठक में भी दर्ज किया था। साथ ही, रीको ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मात्र ₹ 55.50 लाख व्यय किये थे।

अव्ययित राशि का लेखांकन

4.13 आईसीएआई द्वारा सीएसआर के लेखांकन पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार, अव्ययित राशि को बोर्ड के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया जाना है एवं अव्ययित राशि हेतु स्वातो में कोई प्रावधान नहीं किया जाना है। तथापि, यदि किसी कंपनी ने पूर्व में ही सीएसआर गतिविधि प्रारंभ कर दी है जिसके लिए संविदात्मक देयता उत्पन्न हो गई है तो वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि को जिस सीमा तक पूर्ण किया गया था, उतनी राशि हेतु पुस्तकों में प्रावधान करना आवश्यक है।


लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरएसजीएल ने अव्ययित राशि हेतु ₹ 35.00 लाख (निर्धारित राशि ₹ 12.91लाख) का प्रावधान किया था। रीको ने प्रतिबद्धता के आधार पर ₹ 272.00

लाख का प्रावधान किया था यद्यपि 31 मार्च 2020 तक कोई संविदात्मक देयता उत्पन्न नहीं हुई थी। आरआईएसएल ने सीएसआर के लिए ₹ 140.52 लाख का संचय का निर्माण किया जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए हस्तांतरित ₹ 20.29 लाख भी सम्मिलित थे। इससे पूर्व कंपनी वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक सीएसआर देयता हेतु प्रावधान कर रही थी जिसे भी संचय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अव्ययित राशि के इस तरह के लेखांकन व्यवहार ने सीएसआर के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट का उल्लंघन किया।

तिमाही-वार व्यय

4.14 वर्ष 2019-20 के दौरान नौ राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया। जिनमें से आरआरवीयूएनएल द्वारा तिमाही वार व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया था जबकि आरएमएससीएल ने उसके द्वारा किए गए व्यय का आंशिक विवरण ही उपलब्ध कराया था। शेष राजकीय उपक्रमों द्वारा किए गए व्यय का तिमाही-वार विवरण चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:


चार्ट 4.1: तिमाही-वार व्यय



यह देखा जा सकता है कि अंतिम तिमाही में सीएसआर निधि को व्यय करने की तीव्रता थी। दो राजकीय उपक्रमों ने यथा आरआरईसीएल और आरएसडीसीएल ने केवल अंतिम तिमाही में व्यय किया था जबकि आरआरवीपीएनएल ने अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय (₹ 476.64 लाख) किया था। साथ ही, मात्र दो राजकीय उपक्रमों ने यथा आरएसएमएमएल एवं बीएलएमसीएल ने ही चारों तिमाहियों में व्यय किया था।

सर्वाधिक व्यय करने वाले

4.15 नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹ 1346.88 लाख था। चार्ट दर्शाता है कि आरआरवीपीएनएल शीर्ष व्यय करने वाला था, जिसके पश्चात आरआरवीयूएनएल, आरएसएमएमएल एवं आरएसजीएसएमएल थे। वर्ष 2019-20 के दौरान इन चारों राजकीय उपक्रमों ने ₹ एक करोड़ से अधिक व्यय किए।



सीएसआर व्यय की सीमा

4.16 16 राजकीय उपक्रमों द्वारा 2019-20 के दौरान व्यय की गई राशि के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि चार राजकीय उपक्रमों ने ₹ एक करोड़ से अधिक व्यय किए, पांच राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹ एक करोड़ तक व्यय किए जबकि सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि व्यय नहीं की थी जिसे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर राशि की सीमा

विवरण	व्यय की गई राशि की सीमा		
	₹ एक करोड़ से अधिक व्यय की गई राशि	₹ एक करोड़ तक व्यय की गई राशि	कोई राशि व्यय नहीं
राजकीय उपक्रमों की संख्या	4	5	7
राजकीय उपक्रमों का नाम	1. आरआरवीयूएनएल 2. आरआरवीपीएनएल 3. आरएसजीएसएमएल 4. आरएसएमएमएल	1. आरआरईसीएल 2. आरएसडीसीएल 3. आरएमएससीएल 4. रीको 5. बीएलएमसीएल	1. आरएसबीसीएल 2. आरएसपीएफएंडएफएससीएल 3. आरएसआरडीसीएल 4. आरएसजीएल 5. आरएसएफएंडसीएससीएल 6. आरएसएससीएल 7. आरआईएसएल

क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

4.17 वर्ष 2019-20 के लिए 16 राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर किये गये व्यय का क्षेत्रवार विश्लेषण को तालिका 4.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.5: वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर पर क्षेत्रवार व्यय

क्षेत्र का नाम	राजकीय उपक्रमों की संख्या	सीएसआर पर व्यय करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	व्यय की गई राशि (₹ लाख में)
ऊर्जा एवं पॉवर	5	4	918.94
उद्योग एवं वाणिज्य	3	3	303.11
कृषि स्वाद्य एवं संबद्ध उद्योग	2	-	0.00
वित्त	3	1	107.20
स्वास्थ्य और कल्याण	1	1	17.63
लोक निर्माण	1	-	0.00
सूचना तकनीक एवं संचार	1	-	0.00
कुल	16	9	1346.88

स्रोत: राजकीय उपक्रमों की गई से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

यह देखा जा सकता है कि तीन क्षेत्रों में सम्मिलित चार राजकीय उपक्रम वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटन योग्य लाभ होने के पश्चात भी सीएसआर गतिविधियों पर कोई भी व्यय करने में विफल रहे थे। इसी प्रकार ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र के तहत एक राजकीय उपक्रम एवं वित्त क्षेत्र के तहत दो राजकीय उपक्रम कोई भी व्यय करने में विफल रहे थे।

नकारात्मक शुद्ध लाभ वाले राजकीय उपक्रम

4.18 कुल 20 राजकीय उपक्रमों में से, चार राजकीय उपक्रमों यथा; अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक रहे थे इसलिए इन राजकीय उपक्रमों ने कोई सीएसआर गतिविधियां नहीं की थी।

प्रशासनिक उपरिव्यय

4.19 सीएसआर नियम 7 (1) के अनुसार, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक उपरिव्यय कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे चाहिए। साथ ही, राजकीय उपक्रम कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में संस्थापित उपलब्धि रखने वाले संस्थानों के माध्यम से अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों की सीएसआर क्षमताओं का निर्माण कर सकते हैं, किन्तु ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी राजकीय उपक्रम ने अपने स्वयं के कार्मिकों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों की सीएसआर क्षमता का निर्माण नहीं किया था एवं इस प्रकार प्रशासनिक उपरिव्यय पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

सीएसआर परियोजनाओं से अधिशेष

4.20 सीएसआर नियम 7 (2) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष एक कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं होना चाहिए एवं उसे वापस उसी परियोजना में लगाया जाना चाहिए अथवा अव्ययित सीएसआर स्वाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा कंपनी की सीएसआर नीति एवं वार्षिक कार्य योजना की अनुपालना में व्यय किया जाना चाहिए अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

आरआरवीयूएनएल के अतिरिक्त सभी राजकीय उपक्रमों ने उनकी सीएसआर नीति में निर्दिष्ट किया था कि सीएसआर परियोजनाओं से कोई भी अधिशेष कंपनी के लाभ का हिस्सा नहीं होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रारम्भ की गई किसी भी परियोजना में अधिशेष नहीं बचा था।

परियोजना कार्यान्वयन

सीएसआर परियोजनाओं एवं गतिविधियों का चयन

4.21 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं आंकलन किया जाना: सीएसआर की सीमा में आने वाले 20 राजकीय उपक्रमों में से, नौ राजकीय उपक्रमों ने 2019-20 के दौरान सीएसआर पर व्यय किया। तथापि, किसी भी राजकीय उपक्रम ने वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर परियोजना/गतिविधि को चिन्हित करने हेतु बेसलाइन सर्वेक्षण एवं आवश्यकता निर्धारण के संबंध में अध्ययन नहीं किया था।

4.22 अनुसूची VII एवं सीएसआर नियमों के अनुसार व्यय - अधिनियम की धारा 135 (3) (क) में प्रावधान है कि सीएसआर नीति अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी। छः गतिविधियों पर किये गये व्यय की राशि ₹ 250.80 लाख अनुसूची VII के साथ साथ सीएसआर, नियमों के अनुसार नहीं थी, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

- i. लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएसजीएसएमएल ने इसकी सीएसआर नीति तैयार की (जून 2015) जिसमें राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में योगदान को सीएसआर गतिविधियों के तहत सम्मिलित किया गया था। तदनुसार, इसने वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीएसआर के अंतर्गत क्रमशः ₹ 93.93 लाख एवं ₹ 96.80 लाख सीएमआरएफ में हस्तांतरित किये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसआर गतिविधियों हेतु सीएमआरएफ में दिया गया अंशदान अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत उपयुक्त नहीं था। अतः सीएमआरएफ में निधियों के योगदान संबंधी नीति प्रावधान के साथ-साथ सीएमआरएफ में किया गया योगदान अधिनियम के

प्रावधानों के उल्लंघन में था।

आरएसजीएसएमएल ने कहा (अप्रैल 2021) कि सीएमआरएफ में किया गया योगदान एमसीए के परिपत्र (जून 2014) के अनुसरण में था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अनुसूची VII में दी गई प्रविष्टियों का विवेचन उदारता से किया जाना चाहिए जिससे कि उक्त अनुसूची में वर्णित विषय के सार को ग्रहण किया जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त परिपत्र यद्यपि अनुसूची VII में दी गई प्रविष्टियों का विवेचन उदारता से किए जाने की व्याख्या करता है परन्तु न तो अनुसूची VII न ही उक्त परिपत्र सीएमआरएफ में योगदान किए जाने को अनुमत्य करता है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सीएमआरएफ में किया गया योगदान सीएसआर गतिविधियों हेतु योग्य नहीं था। इसे कारपोरेट कार्यों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2020 में पुनः स्पष्ट किया गया था जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सम्मिलित नहीं है एवं इसलिए ऐसी निधि में कोई योगदान स्वीकार्य सीएसआर व्यय के रूप में मान्य नहीं होगा।

- ii. लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि निम्नलिखित राजकीय उपक्रमों ने भी उन गतिविधियों पर व्यय किया जो अधिनियम की अनुसूची VII में सम्मिलित नहीं थे:

राजकीय उपक्रम का नाम	गतिविधि	व्यय की गई राशि (₹ लाख में)
आरआरवीयूएनएल	सड़क निर्माण, अवसंरचना विकास कार्य, कृषि कनेक्शन	42.00
आरआरवीयूएनएल	टाइल्स की इंटरलॉकिंग के साथ सीसी रोड फुटपाथ	75.00
आरएसएमएमएल	सरकारी भवनों, पुलिस लाइन आदि में मरम्मत कार्य.	20.00
आरएसएमएमएल	अन्वेषण भवन हेतु इलेक्ट्रॉनिक मर्दों का प्रापण	10.00
रीको	पुलिस थाना का निर्माण	7.00

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

4.23 कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से धारा 135 (1) के तहत सीएसआर गतिविधि को किए जाने के तरीके से संबंधित हैं। बोर्ड किसी पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी या उसकी सूत्रधारी या सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी के माध्यम से अथवा अन्यथा, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर गतिविधियों को प्रारंभ करने का निर्णय ले सकता है।

प्रत्यक्ष/संस्थागत: राजकीय उपक्रमों द्वारा कुल आठ परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से/संस्थागत रूप से कार्यान्वित किया गया था। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम ने सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन करने हेतु स्वयं का ढांचा स्थापित नहीं किया था।

बाह्य एजेन्सियाँ: 34 परियोजनाओं का निष्पादन सरकारी/बाह्य एजेन्सियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटी आदि के माध्यम से किया गया था।

ध्यानाकर्षण क्षेत्र

4.24 अधिनियम की अनुसूची VII में 12 प्रमुख गतिविधियों/क्षेत्रों का प्रावधान है जिन पर सीएसआर व्यय किया जा सकता है। राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों/क्षेत्रों पर किये गये व्यय, ऐसे व्यय को छोड़कर जो अनुसूची VII के अनुसार नहीं था, को **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 4.6: सीएसआर गतिविधियों के लिए ध्यानाकर्षण क्षेत्र

क्षेत्र	परियोजनाओं/गतिविधि की संख्या	व्यय की गई राशि (₹ लाख में)
स्वास्थ्य सेवा	16	772.18
शिक्षा	12	152.93
पर्यावरण	5	54.97
विरासत	1	5.00

यह देखा जा सकता है कि अधिकतम व्यय स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों पर किया गया था जबकि, शिक्षा क्षेत्र ने दूसरी वरीयता प्राप्त की।

स्थानीय क्षेत्र

4.25 अधिनियम की धारा 135 (5) में प्रावधान है कि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने में स्थानीय क्षेत्र एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों को वरीयता देगी जहां कि यह संचालित होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी नौ राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने 2019-20 के दौरान सीएसआर पर व्यय किया, ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया था। इनमें से अधिकांश राजकीय उपक्रमों ने स्थानीय क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जिसमें कंपनी संचालित होती है या स्थानीय आबादी क्षेत्र है। आरआरवीयूएनएल ने विशिष्ट रूप से अपने विद्युतगृह के आस-पास के स्थानीय समुदाय के विकास को निर्दिष्ट किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान समस्त कंपनियों द्वारा किया गया व्यय उनकी नीति में परिभाषित किये गये स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित है।

भारत/राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/परियोजनाओं का वित्तपोषण

4.26 भारत सरकार (जीओआई) के साथ-साथ राजस्थान सरकार (जीओआर) ने समाज के लाभ हेतु विभिन्न योजनाएं एवं परियोजनाएं आरंभ की थीं। राजकीय उपक्रम अधिनियम की अनुसूची VII की शर्तों के अंतर्गत सीएसआर के तहत ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र थे, अर्थात् यह उसमें उल्लेखित बारह व्यापक

श्रेणियों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा, सशस्त्र बलों हेतु उपाय, ग्रामीण विकास, मलिन क्षेत्र विकास एवं आपदा प्रबंधन के तहत होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी राजकीय उपक्रम ने भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/परियोजनाओं का वित्तपोषण नहीं किया था।

निगरानी तंत्र

4.27 सीएसआर नियम (2014) के नियम 5 (2) के अनुसार, कंपनी द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु सीएसआर समिति को एक पारदर्शी निगरानी तंत्र का गठन करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि समस्त 19 राजकीय उपक्रमों, आरएसआरडीसीसीएल को छोड़कर, जिन्होंने सीएसआर नीति बनाई थी ने अपनी सीएसआर नीति में निगरानी तंत्र को परिभाषित किया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि राजकीय उपक्रमों ने एक निर्दिष्ट अंतराल पर सीएसआर समिति की नियमित बैठक करवाए जाने हेतु तंत्र विकसित नहीं किया था। साथ ही, सात राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की थी जबकि 11 राजकीय उपक्रमों द्वारा इस अवधि के दौरान मात्र एक बैठक आयोजित की गई थी। आरआरवीपीएनएल तथा रीको ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमशः दो एवं तीन बैठकें आयोजित कीं थीं।

प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण

4.28 अधिनियम की धारा 135 (2) एवं (4) सपठित धारा 134 (3) (ण) के अनुसार, एक कंपनी को अपने बोर्ड के प्रतिवेदन में सीएसआर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन को सम्मिलित करना एवं इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना आवश्यक है:

1. सीएसआर नीति के अवयव, सीएसआर नीति का वेब लिंक, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों का उल्लेख।
2. सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक दायित्व विवरण जिसमें उल्लेख हो कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्य एवं नीति के अनुसार था।

सीएसआर नियम 2014 के नियम 8 में प्रावधान है कि इन नियमों के तहत एक कंपनी के बोर्ड के प्रतिवेदन में सीएसआर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन अनुबंध में निर्दिष्ट विवरणों के साथ सम्मिलित करना होगा। साथ ही, नियम 9 में प्रावधान है कि कंपनी का निदेशक मंडल सीएसआर समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी हेतु सीएसआर नीति का अनुमोदन करेगा एवं ऐसी नीति के अवयवों को अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित करेगा तथा इसे

कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई है, अनुबंध में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

- एवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल द्वारा सीएसआर नीति का संक्षिप्त वर्णन उल्लेखित नहीं किया गया था।
- आरएसबीसीएल, जेएमआरसीएल एवं आरएसएससीएल ने गत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर नीति/परियोजनाओं के वेब-लैंक, अव्ययित राशि के कारणों आदि को उल्लेखित नहीं किया था।
- आरएसएमएमएल द्वारा सीएसआर समिति की संरचना एवं अव्ययित राशि के प्रारम्भिक शेष को उल्लेखित नहीं किया गया था।
- आरएसएससीएल द्वारा सीएसआर पर पृथक प्रतिवेदन नहीं दिया गया था।
- आरएसएससीएल, आरएफसीएससीएल, आरएसएमएमएल, आरआरवीयूएनएल, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरएसबीसीएल एवं जेएमआरसीएल द्वारा उत्तरदायित्व विवरण या तो सम्मिलित नहीं किया अथवा हस्ताक्षरित नहीं था।
- आरएसडीसीएल, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल एवं आरएफसीएसएल ने प्रतिवेदन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था।

निष्कर्ष

समस्त 20 राजकीय उपक्रमों, जिन्हें सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था, ने सीएसआर कमेटी का गठन किया था। कुल 17 राजकीय उपक्रमों में से (तीन राजकीय उपक्रम जो कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियाँ थे, को छोड़कर) मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होने के प्रावधान का पालन किया था।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा बनाई गई सीएसआर नीतियों में कुछ कमियाँ थी जैसा कि उनमें क्रमशः निगरानी तंत्र एवं सीएसआर गतिविधियों हेतु अधिशेष के व्यवहार से संबंधित प्रावधान सम्मिलित नहीं थे। साथ ही, सात राजकीय उपक्रम अपनी वार्षिक सीएसआर योजना तथा बजट सीएसआर कमेटी के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं करवा सके थे। सीएसआर गतिविधियों हेतु निधियों के कम/अधिक आवंटन के मामले सामने आए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया था जबकि तीन राजकीय उपक्रमों ने आंशिक रूप से राशि का उपयोग किया एवं सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधि की कोई राशि व्यय नहीं की थी।

राजकीय उपक्रम गत वर्षों की अग्रणीत की गई अव्ययित राशि का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। अंतिम तिमाही में सीएसआर निधि को व्यय करने में जल्दबाजी थी। इसके अतिरिक्त एक राजकीय उपक्रम यथा आरएसजीएसएमएल ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में दर्शाई गई गतिविधियों का उल्लंघन करते हुए व्यय किया क्योंकि राजकीय उपक्रम ने राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि हस्तांतरित की थी। साथ ही, राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर समिति की नियमित बैठकें आयोजित किए जाने हेतु तंत्र विकसित नहीं किया था।

अनुशंसाएँ

राजकीय उपक्रमों को चाहिए

- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाएं;
- वार्षिक योजना एवं बजट का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रणाली को सुदृढ़ बनायें;
- आवंटित धनराशि को उपयुक्त गतिविधियों पर समयबद्ध तरीके से व्यय करने पर ध्यान दें; तथा
- निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करें।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय
प्रतिवेदन संख्या-4
